न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 208/2020

1. रामेश्वर पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
2. जयकिशन पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
3. केसराराम पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. मनफूल पुत्र आदु उर्फ आदराम जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
2. रामकिशन पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
3. नेकीराम पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 103/102 के खसरा सं0 17/1 की 0.535है0 खसरा सं0 18/2 की 1.336है0 खसरा सं0 124/4 की 1.821है0 खसरा सं0 125/2 की 1.164है0 कुल 4.856है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं 1 मनफूल की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रामेश्वर वादी सं0 2 जयकिशन, वादी सं0 3 केसराराम, प्रतिवादी सं0 1 मनफूल प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन प्रतिवादी सं0 3 नेकीराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 208/2020

1. रामेश्वर पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
2. जयकिशन पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
3. केसराराम पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. मनफूल पुत्र आदु उर्फ आदराम जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
2. रामकिशन पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
3. नेकीराम पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिगाढिया : **वादीगण**
वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 2.3.21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 103/102 के खसरा सं0 17/1 की 0.535है0 खसरा सं0 18/2 की ... खसरा सं0 124/4 की 1.821है0 खसरा सं0 125/2 की 1.164है0 कुल 4.856है0 ... भूमि प्रतिवादी सं0 1 मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादीगण के दादा आदराम की खातेदारी हुआ करती थी। आदराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मनफूल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन्स तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। तथा प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामेश्वर पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी जाटान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही जाटान

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

खाता सं0 103/102 प्रदर्श 1 जमावंदी जाटान खाता सं0 6/6 संवत 2073–76 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र जाटान प्रदर्श 3 जमावंदी भू प्रवंध विभाग जाटान प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही जाटान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही जाटान खाता सं0 103/102 प्रदर्श 1 जमावंदी जाटान खाता सं0 6/6 संवत 2073–76 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र जाटान प्रदर्श 3 जमाबंदी भू प्रबंध विभाग जाटान प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 4 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना सावित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार मनफूल के पांच पुत्र रामेश्वर, जयकिशन, केसराराम, नेकीराम व रामकिशन इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना सावित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है। ।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 103/102 के खसरा सं0 17/1 की 0.535है0 खसरा सं0 18/2 की 1.336है0 खसरा सं0 124/4 की 1.821है0 खसरा सं0 125/2 की 1.164है0 कुल 4.856है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं 1 मनफूल की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रामेश्वर वादी सं0 2 जयकिशन, वादी सं0 3 केसराराम, प्रतिवादी सं0 1 मनफूल प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन प्रतिवादी सं0 3 नेकीराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.21 .... द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:05 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक (फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner